

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 423 7.1 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में
------------------------	--------------------------------	----------------------------------


20/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती शरन मुष्ठा पिता/पति सोहन मुष्ठा  
 मौजा वाजोडासु थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- .....  
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 10 / 88-89 के आधार पर दर्ज है।  
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुवर्गवासी के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>वाजोडासु</u>	<u>289</u>	<u>51</u>	<u>01</u> <u>127</u>	<u>1.00</u> <u>1.00 (अव)</u> <u>2.00</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/08/2020 को उपस्थापित करें।

  
 अंचल अधिकारी  
 अड़की।

07/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....  
..... पिता/पति ..... श्री/श्रीमती.....  
..... पितृ/पति ..... श्री/श्रीमती.....  
..... मौजा-..... थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-..... थाना नं०..... 289..... खाता सं०..... 51.....  
प्लॉट सं०..... 127, 01..... रकबा-..... 2.00 (०.०५)..... लगान ..... रुपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....  
..... थाना नं०..... 289..... के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।